न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मनमोहन व्यास, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 173/2018

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

1. बुधा पुत्र भाणू
   जाति–माली, निवासी–बलून्दा,
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली

1. बींजा पुत्र हजारी फौत के का.मु.
   1/1 चौलाराम पुत्र स्व. बींजा
   1/2 थानाराम पुत्र स्व. बींजा
2. धोकल पुत्र किशना जातियान–कुमावत,
   निवासीगण–बलून्दा, तहसील–जैतारण,
   जिला–पाली (राज.)
3. हापुराम पुत्र कालुराम
4. रामा पुत्र भाणू
5. नारायण पुत्र भाणू
6. निहाल पुत्र गोकल
7. गणपतलाल पुत्र हापूराम जातियान–माली,
   निवासी–बलून्दा, तहसील–जैतारण,
   जिला–पाली (राज.)
8. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी,
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.11/07/2018**

उपस्थितः. 1. श्री शाकीर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।

2. श्री चुतराराम भाटी एवं जगदीश सोलंकी अधि.प्रति.

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 07/03/2019**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्व मौजा–बलून्दा, भू–अभिलेख निरीक्षक आ.कालू, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में खसरा नम्बर 286 रकबा 57–15 बीघा किस्म बारानी अव्वल की भूमि आई हुई है। उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 की संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि है जिसे वाद पत्र में विवादग्रस्त आराजी से संबोधित किया गया है। जिसकी वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। उक्त आराजी में सम्पूर्ण कृषि भूमि में वादी का 1/6 का 1/2 का 1/3 हिस्सा व 5/72 वां हिस्सा आता है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/12 हिस्सा है एवं प्रतिवादी संख्या 3 का 1/12 व 1/6 का 1/2 हिस्सा है एवं प्रतिवादी संख्या 4 का 1/6 का 1/2 का 1/3 हिस्सा व 1/9 वां हिस्सा है एवं प्रतिवादी संख्या 5 का 1/6 का 1/2 का 1/3 हिस्सा व 1/9 वां हिस्सा है एवं प्रतिवादी संख्या 6 का 1/3 वां हिस्सा है एवं प्रतिवादी संख्या 7 का 1/24 वां हिस्सा है। उक्त कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर बाहमी बंटवाड़ा हो रखा है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण माफिक बाहमी बंटवाड़े के अपने अपने हक एवं हिस्सानुसार मौके पर काबिज होकर शांति पूर्वक काश्त कार्य करते आ रहे है एवं भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाड़ा नहीं हो रखा है वादी ने अपने हक हिस्से की भूमि में खाद डालकर एवं भूमि के रख रखाव एवं डोल पाल लगाकर एवं अपनी मेहनत से एवं अपने खर्चे से अपने हक हिस्से की भूमि को उपजाऊ एवं ऊर्जावान बनाया है तथा वादी ने अपने हक हिस्से की भूमि में ही काश्त कार्य हेतु यंत्रों को रखने व फसल एवं अनाज को रखने एवं उनकी सुरक्षा हेतु एक गोदाम/मकान का भी निर्माण कर रखा है तथा वादी के हक हिस्से की उक्त उपजाऊ एवं ऊर्जावान भूमि के प्रति

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण की नियत हमेशा से ही बद् एवं खराब रही है एवं प्रतिवादीगण पिछले काफी समय से फसल की बुआई एवं वादी के हक हिस्से की भूमि में वादी द्वारा काश्त कार्य करने में जान बूझकर एवं वादी को अपने हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने की नियत से वादी को तंग परेशान एवं वादी के काश्त कार्य में बाधा उत्पन्न करना शुरू कर रखा है। जिससे वादी को अपने जान माल का खतरा एवं अपनी हक हिस्से की भूमि छीन जाने का भय है इसलिए उक्त कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किया जाना न्यायतन आवश्यक है तथा वादी अपने हक हिस्से की भूमि बतौर खातेदार काश्तकार होने से राजस्व रेकर्ड में अपनी भूमि का अलग से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के अलग से बंटवाड़ा करवाने का कानूनन अधिकारी होने से यह वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या आठ राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी है। जो आवश्यक पक्षकार है जिनके विरुद्ध वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है। परन्तु नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वाद पत्र अनुमति लेकर के श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 80(2) सीपीसी का अलग से साथ प्रस्तुत है। बिनाय वाद दिनांक 15/06/2018 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी के हक हिस्से की भूमि से वादी को बेदखल करने एवं प्रतिवादीगण द्वारा भूमि का किसी दीगर व्यक्ति को बेचान करने की एलानिया धमकी देने एवं वादी द्वारा प्रतिवादीगण से उक्त कृषि भूमि का प्रेम पूर्वक बंटवाड़ा करने का निवेदन करने पर प्रतिवादीगण ने उक्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा करने से स्पष्ट मना कर दिया तथा लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा होने पर बमुकाम बलून्दा तहसील-जैतारण, जिला-पाली में पैदा हुआ है। जो अन्दर म्याद श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रति0 01 से 07 की और से वकालतनामा पेश हुआ। वकील प्रतिवादीगण ने जवाब दावा प्रस्तुत नही कर माफिक राजस्व रेकर्ड उक्त वाद को प्राथमिक डिकी किया जाने की इस्तदूआ की। इस पर वकील वादी को कोई आपति नही हैं। आदेशिका पर वकुलाय के हस्ताक्षर करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा वकुलाय इस्तदूआ पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी एवं प्रतिवादीगण राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। वादीगण एवं प्रविादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा चाहते हैं। लिहाजा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिकी जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि राजस्व मौजा-बलून्दा, भू-अभिलेख निरीक्षक आ.कालू, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में खसरा नम्बर 286 रकबा 57-15 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बॉउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2019/98 दिनांक 22/01/2019 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2019/1000 दिनांक 12/02/2019 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा–बलून्दा, भू–अभिलेख निरीक्षक आ.कालू, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में खसरा नम्बर 286 रकबा 57–15 बीघा किस्म बारानी अव्वल की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	बुधाराम पुत्र भाणूराम कौम माली सा. देह खातेदार रहन एम.जी.बी. बलून्दा।	286/2	6-00-00	बा.अ.	3.72
2	बींजाराम पुत्र हरजीराम धोकलराम पुत्र किशनाराम 1/12 कौम कुमावत हापूराम पुत्र कालुराम 1/12 रामाराम पुत्र भाणूराम हापूराम पुत्र कालुराम बुधाराम पुत्र भाणूराम नारायण पुत्र भाणूराम 1/6 निहालराम पुत्र गोकलराम 1/3 रामाराम 1/9 नारायण 1/9 बुधाराम 5/72 पिता भाणूराम गणपतलाल पुत्र हापूराम 1/24 कौम माली सा.देह खातेदार रहन बुधा पुत्र भाणू एम.जी.बी. बलून्दा।	286/1	1-15-00	बा.अ.	1.81
3	बीजाराम पुत्र हजारीराम धोकलराम पुत्र किशनाराम 93/1000 कौम कुमावत हापूराम पुत्र कालुराम 133/1000 रामाराम पुत्र भाणुराम 173/1000 नारायण पुत्र भाणुराम 173/1000 निहालराम पुत्र गोकलराम 380/1000 गणपतलाल पुत्र हापूराम 48/1000 कौम माली सा.देह खातेदार।	286	50-00-00	बा.अ.	31.00

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 07/03/2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner